International Journal of Applied Research 2022; 8(2): 174-178

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2022; 8(2): 174-178
www.allresearchjournal.com
Received: 12-12-2021
Accepted: 15-01-2022

संजय कुमार
आई, सी, एस, एस, आर,
डॉक्टोरल रिसर्ज फेलो, विनोवा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग,
झारखण्ड, भारत

Corresponding Author:
संजय कुमार
आई, सी, एस, एस, आर,
डॉक्टोरल रिसर्ज फेलो, विनोवा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग,
झारखण्ड, भारत

झारखण्ड महिला पुलिस बलों के कार्यसंतुष्टि पर नक्सलवाद के प्रभाव का अध्ययन

संजय कुमार

सारांश
भारतवर्ष के सभी राज्यों में अपराधों के रोकथाम एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित करने में पुलिस प्रशासन की भूमिका बेहद अहम होती है। लेकिन आज के वत्तर्मान समय में झारखण्ड राज्य के कुछ जिलों में नक्सलवाद के कारण पुलिस बलों को कार्यसंतुष्टि प्राप्त कर सफलता पूर्वक कार्य कर पाना एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आ खड़ा हो गया है। जिससे पुलिस प्रशासन को अनेक तरह की कठिनाईयों के सामना करने पड़ रहे है। जिसके परिणाम स्वरूप राज्य ही नही पूरे देश अनेक समस्यों से प्रभावित हो रहा है। प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य गिरिडीह, देवघर, चतरा एवं हजारीबाग जिलें के नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के विवाहितों एवं अविवाहितों महिला पुलिस बलों के कार्यसंतुष्टि का अध्ययन करना है। आंकड़ा एकत्रित करने के पश्चात् सांख्याकीय विश्लेषण हेतु वर्णनात्मक सांख्यिकी में माध्यमान तथा मानक विचलन की गणना की गई है। तथा समूहों के मध्य अन्तर टी–अनुपात ज्ञात किया गया है। प्राप्त परिणाम प्रदर्शित करते है कि झारखण्ड के नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के महिला पुलिस बलों के कार्यसंतुष्टि पर वातावरण भिन्नता के आधार पर सार्थक अन्तर अधिक पाया गया। एवमं विवाहितों एवं अविवाहितों महिला पुलिस बलों के कार्यसंतुष्टि पर परिवार समायोजन भिन्नता के आधार पर भी सार्थक अन्तर अधिक पाया गया है।

कूटशब्द : महिला पुलिस बल, कार्यसंतुष्टि, वातावरण भिन्नता, परिवार सामायोजन, नक्सलवाद।

1. प्रस्तावनाः
भारतवर्ष के इतिहास में दंडधारी को पुलिस प्रशासन के रूप जाना जाता है। प्राचीन भारत का स्थानीय शासन मुख्यतः ग्रामीण पंचायतों पर आधारित था। गांवों के न्यायों एवं शासनों संबंधी कार्य ग्रामीक नामी एक अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता था। और इनके संरक्षण में जनता अपने व्यापार–उदयोग निर्भय होकर करती थी। मुगलकाल में ग्राम के मुखिया द्वारा मालगुजारी एकत्र करना, झगड़ों का निपटारा करना, शान्ति व्यवस्था गांव में स्थापित करना था। मुगलों के पतन के उपरान्त भी ग्रामीण शासन की परम्परा चलती रही।
सन् 1757 में जब अग्रेजों ने बंगाल की सत्ता हथिया लिया तब जनता का दायित्व ब्रिटीश सरकार पर आ गई। सन् 1781 में वारेन हेस्टिंग्ज ने फौजदारों और ग्रामीण अधिकारियों की सहायता से पुलिस प्रशासन की रूपरेखा बनाने का प्रयोग किया और उसके बाद लार्ड कर्नवालिस ने अपराधियों की रोकथाम के लिए एक वेतन भोगी एवं स्थायी पुलिस प्रशासन की स्थापना की। 01 जनवरी 1791 से भारत में नई पुलिस प्रशासन व्यवस्था की शुरूआत की गई। इस प्रकार मुलतः वर्तमान पुलिस प्रशासन की रूपों के जन्मदाता लार्ड कर्नवालिस को ही माना जाता है। सन् 1861 में पुलिस ऐक्ट के आधार पर पुलिस प्रशासन प्रत्येक प्रदेश में स्थापित किये गये। पुलिस प्रशासन एक नियंत्रणकारी संस्था के रूप में कार्य करती है, जो भारतीय समाज में विधि–व्यवस्था बनाये रखने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसका मुख्य काम शान्ति और व्यवस्था स्थापित करना, अपराधों की रोकथाम, घटित अपराधों का उद्भेदन, नागरिकों के जानोमाल की रक्षा तथा केन्द्र एवं राज्य के कानूनों को लागू करना है तथा इन्हें निरोधात्मक शक्तियाँ भी प्रदान की गई है, जैसे– गिरफ्तारी की शक्ती, अपराध नियंत्रण की शक्ति, व्यक्ति एवं स्थान की तलाशी की शक्ति, अपराध का पंजीयन की शक्ति, अनुसंधान एवं न्यायालयों से अनुमति प्राप्त कर सम्पति की कुर्की–जब्ती की शक्ति, शान्ति कायम रखने की प्रमुख शक्ती है। देश में कानून व्यवस्था लागू करवाने और अमन–चैन को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की भूमिका बेहद अहम होती है। लेकिन आज के वर्तमान समय में नक्सल क्षेत्रों में पुलिस बलों को सफलता पूर्वक कार्य करना एक बहुत बडी समस्या के रूप में आ खड़ी हुई है। नक्सलवाद से लड़ाई में आज झारखण्ड के पुरूष पुलिस बलों के साथ महिला पुलिस बल भी कंधा से कंधा मिलाकर मुकाबला कर रही है और डी.आर.जी. दंतेश्वरी फाइटर्स की जांबाज महिला कंमाड़ो

सुनैना पटेल सबसे बड़ी मिशाल है, जो गर्भवती होने के बाद भी नक्सल क्षेत्रों में नक्सलियों से लोहा लेने बेखौफ होकर टीम के साथ जंगलों में निकल जाती हैं। ''विनीता केवलानी एवं आर रोचिन चंद्रा (2019) कहा है की पुलिस बलों में महिलाओं की जरूरत तब पड़ी जब आजादी के बाद दगों में अपहरण और बालत्कार की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी। इसी दौरान हिन्दु–मुस्लिम लोगों का दो तरफा देशान्तरण हुआ, जिसके चलते महिला शरणार्थियों ने भारी तदाद में भारत में प्रवेश किये। इस गतिशीलता से भारत सरकार को कई मुसीबतो का सामना करना पड़ा, जिस पर काबू पाने के लिए सन् 1948 में कुछ महिलाओं को पुलिस बलों में भर्ती किये गये। हालांकी आजादी से पहले भी कुछ राज्यों में महिलाएँ पुलिस बलों का हिस्सा थी, लेकिन उनकी संख्या ना के बराबर थी। पर जैसे–जैसे आजाद भारत में बच्चों और महिलाओं के विरूद्ध अपराध बढ़ने लगे, तो उनके बयान दर्ज एवं उन्हें पूछताछ करने के लिए महिला पुलिस बलों की जरूरत बढ़ी। महिला अपराधियों को जाँच करने का काम भी महिला पुलिस द्वारा ही होने लगा। आज भारत के हरेक जिलों में महिला थाना की व्यवस्था की गई है जिसकी प्रभारी खुद महिलाएं होती हैं, और ये घरेलु हिंसा, बाल विवाह, देहज, उत्पीड़न, बालात्कार, सेक्स रैकेट, जैसे मामलों का जाँच पड़ताल, छानबीन एवं नक्सल क्षेत्रों में भी गस्त करती है। परन्तु किसी भी संस्थान की सफलता उसके कर्मचारियों में पर्याप्त कार्यसंतुष्टि से होती है। कार्यसंतुष्टि कार्य के विभिन्न पहलूओं के प्रति सामान्य मनोवृति पर निर्भर करती है, परन्तु कार्यसंतुष्टि में सिर्फ कार्य के प्रति विकसित मनोवृति ही नही बल्कि, जीवन के अन्य दूसरे संबंधित पहलूओं के प्रति विकसित मनोवृति भी शामिल होती है। लॉक (1970) के अनुसार '' अपने कार्य या कार्य–अनुभूतियाँ के मूल्यांकन से उत्पन्न सुखमय या धनात्मक सांवेगिक अवस्था से होता है''। कार्यसंतुष्टि कार्य–परिस्थिति के प्रति एक सांवेगिक या भावात्मक प्रकिया होती है। इसे सीधे नहीं देखा जा सकता है बल्कि कर्मचारियों के व्यवहार से इसका केवल अंदाज लगाया जा सकता है। कार्यसंतुष्टि का निर्धारण इस बात से होता है कि कर्मचारियों की प्रत्याशाएँ एवं आवश्यकताओं की पूर्ति उनके कार्यों द्वारा कितनी हो रही है। यदि कर्मचारी को अन्य कर्मचारियों के समान ही पुरस्कार या सम्मान मिल रहा है तथा उसके साथ कोई भेद भाव नहीं किया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में कार्यसंतुष्टि अधिक होगी, परन्तु यदि उसे अन्य समकक्ष कर्मचारियों की तुलना में अनुपयुक्त पुरस्कार या सम्मान मिल रहा है या उसके साथ भेद–भाव किया जा रहा है तो इससें उसमें कार्य असंतुष्टि होगी। वस्तुतः उसी प्रकार वर्त्तमान समय में पुलिस बलों को नक्सल क्षेत्रों में नक्सलवाद के विरूद्ध भी कार्य करने पड़ते है जिससे पुरूष पुलिस बलों के अपेक्षा महिला पुलिस बलों के कार्य काफी कठिनपूर्ण होते हैं। इन्हें अनेक तरह कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्यों का सामना करने पड़ते हैं। जब नक्सल क्षेत्रो में हिंसा धीरे–धीरे फैलती हैं तो राज्य साकार द्वारा पुलिस बलों को नक्सलवादी हिंसा पर काबू पाने के लिए भेजे जाते हैं। इस प्रकार अनेकों घटनाएं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुई है, जहाँ अनेक पुलिस कर्मी हताहत एवं शहीद हुए है। पुलिस प्रशासन सेवा में महिलाओं का सफर कुछ आसान नहीं होते है। फिर भी भारत की बेटी लोहा से लोहा लेने के लिए तैयार खड़ी रहती है। जहाँ पुलिस अधिकारी बनने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है वहीं हमारे समाज की कुछ व्यापक धारणा है की महिलाओं में शारीरिक क्षमता न होने के कारण, वे पुलिस सेवा में अपना योगदान देने में असमर्थ हैं। इस कट्टरता सोच की वजह से उन्हें बार–बार यह साबित करना पड़ता है कि वे महिला होने के बावजूद भी पुलिस दलों में पुरूषों के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर चल सकती है। महिला और पुरूष दोनों को ही पुलिस दलों में जुड़ने से पहले एक समान प्रशिक्षण दी जाती है, जो कि मानसिक एवं शारारिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण होती है। हाँलाकि, महिला पुलिस बलों के सामने कुछ ऐसी परिस्थितयाँ समस्या के रूप में सामने आ खड़ी हो जाती है कि उन्हें पुलिस सेवा देने में काफी कठिनाईयों का सामना करने पड़ते है जैसे पुलिस दलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व शुरू से ही पुरूषों की तुलना में कम होने के कारण उन्हें '' महिला दोस्ताना '' वातावरण नहीं मिल पाता है जिसके चलते उन्हें अपने कार्य करने में काफी कठिनाईयों का सामना करने पड़ते हैं। इस वजह से महिलाएँ माहवारी के समय कार्यस्थल में हो रही तकलिफों के बारे में किसी को बता नहीं पाती हैं। नक्सल क्षेत्रों पुलिस स्टेशनों एवं कार्यस्थलों पर माहवारी में उपयोग होने वाले सेनेटरी नैपकिन्स और उन्हें डिस्पोज करने के लिए इंसीनरेटर भी उपलब्ध नहीं होती है। जिसके कारण महिला पुलिस बलो को काफी कठिनाईयों का सामना करने पड़ते है। महिला पुलिस बलों को अधिकतर कार्यस्थलों पर शौचालय की सुविधा ना होने के कारण उन्हें घंटो तक बिना शौचालय उपयोग खडे रहने पड़ते हैं, जिसके कारण वह कई तरह के संक्रमण के शिकार भी हो जाती है। पुलिस की वर्दी कार्यस्थल पर माहवारी के समय काफी असुविधाजनक बन जाती है, क्योंकि वर्दी का रंग खाकी होने के कारण दाग लगने एवं जाहिर होने की काफी सम्भावना रहती है। इन दिनों महिलाओं को पेट एवं पीट दर्द होने की कठिनाईयों का भी सामने करने पड़ते है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक महिला पुलिसकर्मी इन सभी दिक्कतों का इजहार किसी अन्य महिला अधिकारी को करती है तो अक्सर उनकी परेशानियों को नजर–अदांज कर दिये जाते है। इन्ही सब कारणों से हताश होकर अधिकांश महिला पुलिस कर्मी अपने कार्य से सन्तुष्ट नहीं हो पाती है और अनेक तरह की शारीरिक एवं मानसिक विकृतियों का शिकार हो जाती हैं। वर्ष 2013 मे गृह मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक थाने में तीन महिला पुलिस उप निरीक्षकों की नियुक्ति जाँच अधिकारी के रूप में करना आवयश्यक है। अधिकांश राज्यों में पुलिस विभागों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय, वस्त्र बदलने का कमरा उपलब्ध कराने के लिए सभी पुलिस स्टेशनों और इकाईयों में महिलाओं के लिए संलग्न शौचालय युक्त अलग आवास बनाने हेतु राज्य पुलिस बल आधुनिकरण योजना के अन्तर्गत धन प्राप्त किया है। पुलिस विभागों को इस कोष का सर्वोत्म उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए एवं महिलाओं की कुछ विशेष परिस्थितियाँ जैसे गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद की स्थिति पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। पुलिस बलों के अधिक महिलाओं को नक्सल क्षेत्रों में नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 21 (राइट टू लाइफ) के अनुसार महिलाओं को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, जिसके तहत् सरकारी दफ्तरों में उन्हें स्वच्छ शौचालय, साफ पानी और सही मात्रा में सेनेटरी प्रोडक्ट्रस उपलब्ध कराने की जरूरत है। पुलिस अकादमियों में पुलिस प्रोबेशनर्स और रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए आये अधिकारियों को शिक्षा प्रशिक्षण के दौरान जेंडर जागरुकता की क्लासेज देनी चाहिए, ताकि वे पुलिस स्टेशनों में ऐसा माहौल उत्पन्न कर सकें जहाँ महिला पुलिस कर्मी अपनी तकलिफों को खुल के ब्यान कर पाये। डयूटी के दौरान जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनका समाधान करने के लिए पुलिस स्टेशन में एक रिड्रेसल अपनी दुविधाओं को अज्ञात रूप से बता सके, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। महिला पुलिस कर्मियों के लिए थानों मे अलग से डिस्पेंसरी, नर्सिग रूम आदि उपलब्ध कराना चाहिए ताकि हार्मोनल इम्बैलेंस से हो रही अनियमित माहवारी के दौरान महिला कर्मियों को किसी भी तरह की शर्मिदगी और उत्पीड़न का शिकार न होना पड़े। इसका ध्यान रखते हुए सरकार को पुलिस कर्मियों के लिए वैकल्पिक यूनिफार्म का प्रावधान बनाना चाहिए। एवम् केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार को चाहिए की इनके लिए इन सभी उत्तम व्यवस्था का उपाय करें, ताकि महिला पुलिस बलों अपनी सेवा एवं कार्यों को सफलतापूर्ण संतुष्ट होकर करें।

2. समस्या कथन :–

झारखण्ड महिला पुलिस बलों के कार्यसंतुष्टि पर नक्सलवाद के प्रभाव का अध्ययन।

3. शोध के उद्देष्य :–

प. नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के महिला पुलिस बलों के कार्यसंतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

पप. नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के विवाहितों एवं अविवाहितों महिला पुलिस बलों के कार्यसंतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

4. शोध के परिकल्पना :–

प. नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के महिला पुलिस बलों के कार्यसंतुष्टि पर वातावरण भिन्नता का सार्थक अन्तर नहीं पाया जाएगा।

पप. नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के विवाहितों एवं अविवाहितो महिला पुलिस बलों के कार्यसंतुष्टि पर परिवारिक समायोजन भिन्नता का सार्थक अन्तर नहीं पाया जाएगा।

5. तकनीकी शब्दों का परिभाषिकरण :–

1. झारखण्ड महिला पुलिस बलों :–

बिहार से झारखण्ड अलग होने के बाद पुलिस विभाग का भी बंटवारा हुआ और बल एंव संसाधन दोनों झारखण्ड के लिए अलग नामित कर दिए गए। पुलिस शब्द ग्रीक शब्द पुलिटिया तथा लैटिन शब्द पोलिटिया से बना है। जिसका अर्थ राज्य सरकार या नागरिक का प्रशासन होता है जिसका मुख्य उद्देश्य शान्ति व्यवस्था स्थापित करना, अपराधो की रोकथाम, घटित अपराधों का छानबीन एवं कानूनों को लागू करना होता है। पुलिस न्याय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। पूर्व में अपराध उद्भेदन के मुख्यतः चार अंग थे, जिसमें पहला– अपराध की सूचना, दूसरा– अपराध के अनुसार कांड दर्ज करना, तीसरा– वादी और प्रतिवादी का बयान तथा गवाहों का परीक्षण करना, चौथा– फैसला दिया जाना होता है।

2. कार्यसंतुष्टि :–

किसी भी संस्थान की सफलता की कुंजी यह होता है कि उसके कर्मियों में पर्याप्त कार्यसुंतष्टि प्राप्त हो। किसी भी कर्मियों की कार्यसंतुष्टि कार्य के विभिन्न पहलुओं के प्रति सामान्य मनोवृति पर निर्भर करती है। कार्यस्थलों में कर्मियों की अपनी आंतरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के विचार से अभिप्रेरित होते है और यदि ऐसा करने में उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो उन्हें पर्याप्त कार्यसंतुष्टि नहीं मिलती है और उन्हें जब सफलता मिलती है तो उन्हें पर्याप्त कार्यसंतुष्टि प्राप्त होती है। परन्तु कार्यसंतुष्टि में सिर्फ कार्य के प्रति विकसित मनोवृति ही नही बल्कि जीवन के अन्य संबंधित पहलुओं के प्रति विकसित मनोवृति भी शामिल होती है। जैसे स्वयं कार्य के प्रति मनोवृति, वेतन, पदोन्नति, पर्यवेक्षण तथा सहकर्मियों के प्रति मनावृति के अवसर और कई तरह की मनोवृतियाँ शामिल होती है।

3. नक्सलवाद क्षेत्रः–

आज भारतवर्ष के स्वंवत्रता प्राप्ती के 74 साल बीत जाने के बाद भी हमारे समाज का बहुमुखी विकास तो हुआ। लेकिन आज भी आदिवासी जनजाति बहुल क्षेत्र विकास से वंचित है जिसके कारण आज नक्सलवादी आन्दोलन नक्सलबाडी से उठा एक ऐसा आन्दोलन है जो पूरे भारत वर्ष में एक खलबली की लहर पैदा कर दिया है। यह एक ऐसा ज्वालामूखी विस्फोट है जिसका लावा पूरे भारत में फैलता जा रहा है और यह केन्द्र एवं राज्य सरकार के लिए सिर–दर्द बन गया है। नक्सलवाद आज जिस मोड़ पर पहुँच चुका है की आज देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा का रूप धारण कर लिया है। निःसदेह यह शान्ति, विकास और कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी बाधा बनता जा रहा है। आज वर्त्तमान समय में केन्द्र एंव राज्य सरकार की लापरवाही के कारण आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, बेरोजगारी, जल, जगंल एवं जमीन पर इनकी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकी है। जिसके कारण नक्सलवादी क्षेत्रों के आदिवासी एवं अन्य नागरिक नक्सलवादी आन्दोलनों में शामिल होते जा रहे है। इसी कारण आदिवासी लोग अपने हक के लिए नक्सलवाद की विचारधारा पर चल रहें है और इनका विस्तार 20 राज्यों के 223 जिलों में फैल चुका है।

6. शोध के परिसीमाएँ :–

प्रस्तुत शोध में समय, श्रम एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान की निम्नलिखित परिसीमाएँ है।

प. इस शोध अध्ययन में नक्सल क्षेत्रों की एवं गैर नक्सल क्षेत्रों की 200 महिला पुलिस बलों पर ही सीमित रखा गया है।

पप इस शोध अध्ययन में विवाहितों एवं अविवाहितों महिला पुलिस बलों का उम्र 18 से 60 वर्ष तक सीमित रखा गया हैं।

पपप इस शोध अध्ययन में गिरीडीह, देवघर, चतरा एवं हजारीबाग जिलें के नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के महिला पुलिस बलों को प्रतिदर्श के रूप में लिया गया है।

पअ. इस शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों विवाहितों एवं अविवाहितों महिला पुलिस बलों को लिया गया है।

7. शोध के प्रविधि :–

प्रस्तुत शोधकार्य के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु आंकड़े एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया गया है।

8. न्यादर्ष :–

प्रस्तुत : अध्ययन में शोधकर्त्ता द्वारा संभाव्यता प्रतिदर्श विधि में से याद्धच्छिक प्रतिदर्श का प्रयोग कर गिरीडीह, देवघर, चतरा एवं हजारीबाग जिलें के नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के विवाहितों एवं अविवाहितों 200 महिला पुलिस बलों का चयन किया गया है।

9. शोध उपकरण :–

इस शोध में अध्ययनकर्त्ता प्रस्तुत अध्ययन के सम्पादन करने हेतु (श्रै– कार्य– संतुष्टि परीक्षण) डॉ0 अमर सिंह एंव डॉ0 टी0 आर शर्मा द्वारा निर्मित) का प्रयोग किया गया है।

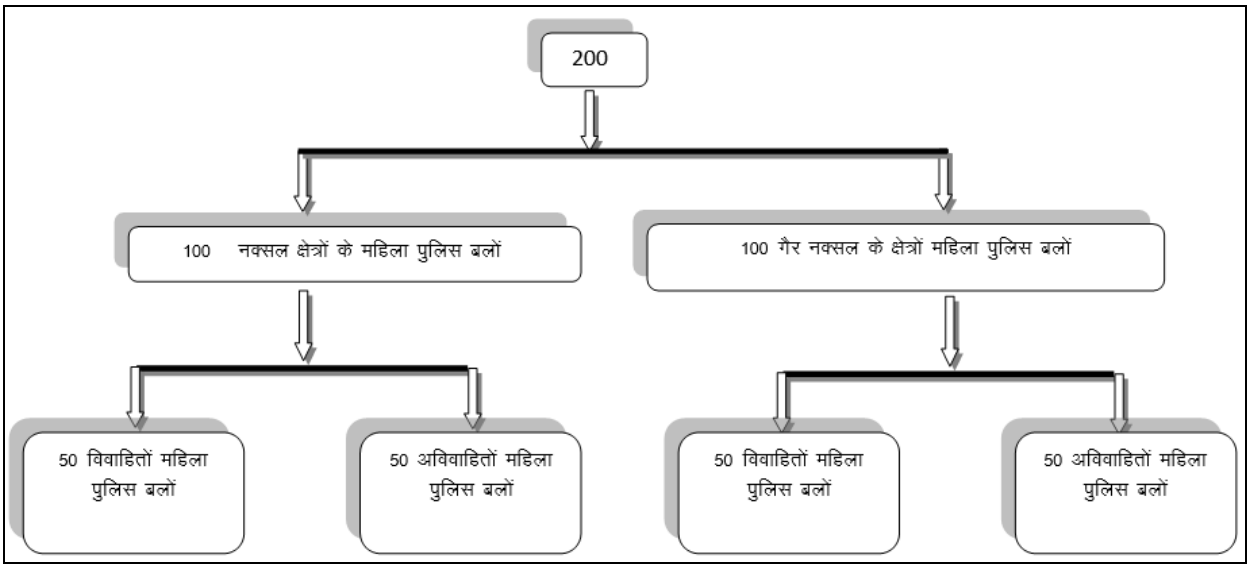

10. शोध अध्ययन में प्रस्तुत संख्यिकी :–

शोध द्वारा परिकल्पना के परीक्षण हेतु प्राप्त आकड़ों का विशलेषण किया गया इस हेतु सांख्यिकी :–

1) मध्यमान.
2) मानक विचलन.
3) टी–अनुपात.

11. आँकड़ों का वर्गीकरण विशलेषण एवं व्याख्या :–

परिकल्पना 1 :

नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के महिला पुलिस बलों के कार्यसंतुष्टि पर वातावरण भिन्नता का सार्थक अन्तर नहीं पाया जाएगा।

सारणी संख्या 1: नक्सल क्षेत्रों एवं गैरनक्सल क्षेत्रों के महिला पुलिस बलों के कार्य संतुष्टि पर वातावरण का सांख्यिकीय विवरण।

क्र0 सं0	तुलनात्मक समूह	प्रदत्तों की कुल संख्या 200	माध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य	सार्थकता स्तर
1	नक्सल क्षेत्रों के महिला पुलिस बलों	100	90.58	10.02	5.12	0.01
2	गैर नक्सल क्षेत्रों के महिला पुलिस बलों	100	78.76	20.60		

स्वतंत्रता के अंश 198 हेतु आवश्यक 'टी' का तालिका मान।
0.05 विश्वास स्तर पर सार्थकता के लिए आवश्यक मान 1.97,
0.01 विश्वास स्तर पर सार्थकता के लिए आवश्यक मान 2.60

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नक्सल क्षेत्रों के महिला पुलिस बलों व गैर नक्सल क्षेत्रों के महिला पुलिस बलों के कार्यसंतुष्टि से प्राप्त माध्यमान 90.58 व 78.76 के बिच 'टी' मूल्य 5.12 प्राप्त हुआ यह 'टी' मूल्य 0.05/0.01 स्तर पर 1. 97/2.60 में अधिक है जो यह प्रदर्शित करता है कि नक्लस क्षेत्रों के महिला पुलिस बलों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के महिला पुलिस बलों के कार्यसंतुष्टि मे सार्थक अन्तर पाया जाता है।

अतः परिकल्पना ''नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के महिला पुलिस बलों के कार्यसंतुष्टि पर वातावरण भिन्नता का सार्थक अन्तर नही पाया जाएगा। अस्वीकृत की जाती है।

नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के महिला पुलिस बलों के कार्यसंतुष्टि पर वातावरण भिन्नता से संबंधी आंकड़ों को प्रदर्शित करने वाला आरेख :–

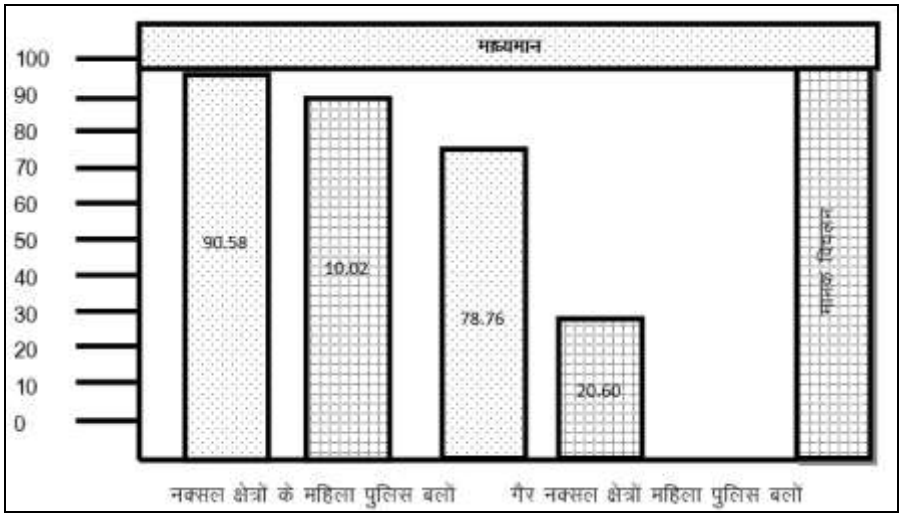

आरेख संख्या 1.1: नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के महिला पुलिस बलों के कार्य संतुष्टि पर वातावरण भिन्नता से संबंधीत सांख्यिकीय आंकड़ो को प्रदर्शित करने वाला आरेख।

परिकल्पाना 2 :–
नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के विवाहितों एवं अविवाहितों महिला पुलिस बलों के कार्यसंतुष्टि पर परिवारिक समायोजन भिन्नता का सार्थक अन्तर नहीं पाया जाएगा।

सारणी संख्याः–2: नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के विवाहितों एवं अविवाहितों महिला पुलिस बलों के कार्य संतुष्टि पर परिवारिक समायोजन भिन्नता का सांख्यिकीय विवरण।

क्र0सं0	तुलनात्मक समूह	प्रदत्तों की कुल संख्या 200	माध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य	सार्थकता स्तर
1	नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के विवाहितों महिला पुलिस बलों	100	85.89	14.35	3.03	0.01
2	नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के अविवाहितों महिला पुलिस बलों	100	77.08	24.97		

स्वतंत्रता के अंश 198 हेतु आवश्यक 'टी' का तालिका मान।
0.05 विश्वास स्तर पर सार्थकता के लिए आवश्यक मान 1.97
0.01 विश्वास स्तर पर सार्थकता के लिए आवश्यक मान 2.60

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के विवाहितों एवं अविवाहितों महिला पुलिस बलों से कार्यसंतुष्टि से प्राप्त माध्यमान 85.89 व 77.08 के बीच 'टी' मूल्य 3.03 प्राप्त हुआ। यह 'टी' मूल्य 0.05/0.01 स्तर पर 1.97/2.60 से अधिक है जो यह प्रदर्शित करता है की नक्लस क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के विवाहितों एवं अविवाहितों महिला पुलिस बलों के कार्यसंतुष्टि में सार्थक अन्तर पाया जाता है। अतः परिकल्पना नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के विवाहितों एवं अविवाहितों महिला पुलिस बलों के कार्यसंतुष्टि पर परिवारिक समायोजन भिन्नता का सार्थक अन्तर नहीं पाया जाएगा। अवस्किृत दी जाती है।

नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के विवाहितों एवं अविवाहितों महिला पुलिस बलों के कार्यसंतुष्टि पर परिवारिक समायोजन भिन्नता से संबंधी आकड़ों को प्रदर्शित करने वाला आरेख :–

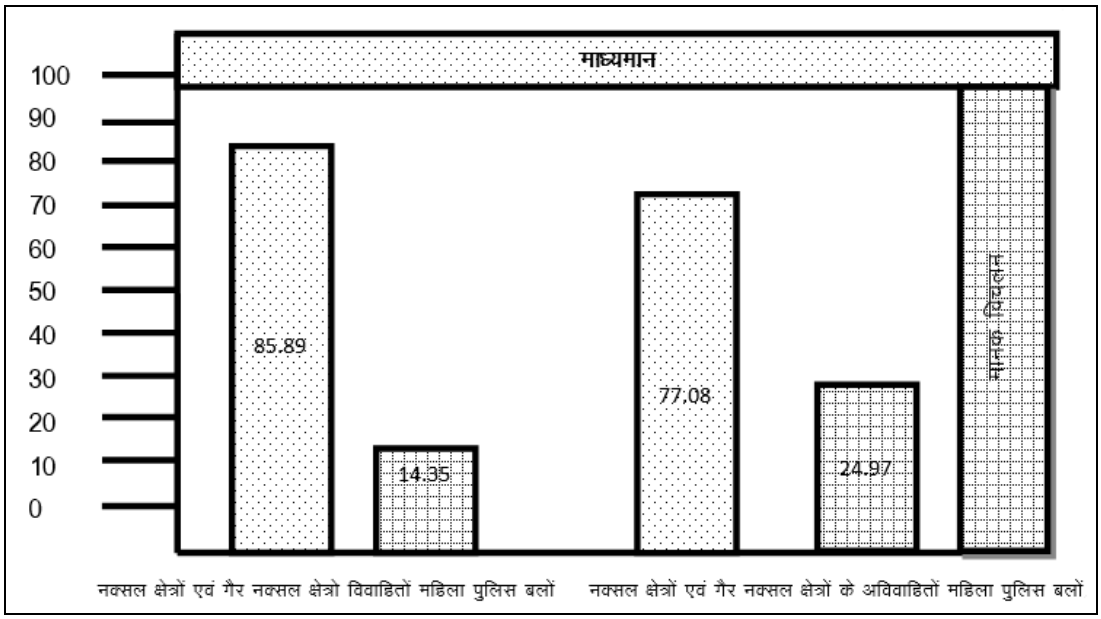

आरेख संख्या 2.1: नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के विवाहितों एवं अविवाहितों महिला पुलिस बलों के कार्य संतुष्टि पर परिवारिक समायोजन भिन्नता से संबंधीत सांख्यिकीय आकड़ों को प्रदर्शित करने वाला आरेख।

12. निष्कर्ष :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए है।

1. नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के महिला पुलिस बलों के कार्यसंतुष्टि पर वातावरण भिन्नता के आधार पर सार्थक अन्तर अधिक पाया गया है।
2. नक्सल क्षेत्रों एवं गैर नक्सल क्षेत्रों के विवाहितों एवं अविवाहितों महिला पुलिस बलों के कार्यसंतुष्टि पर परिवारिक समायोजन भिन्नता के आधार पर सार्थक अन्तर अधिक पाया गया है।

13. सर्दभ सूचीः–

1. सिंह, राकेश कुमार. (2012), नक्सलवाद और पुलिस की भूमिका, प्रकाशनः पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय), 314 मंजिल ब्लाक–11, सी0जी0ओ0 कंप्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 114.–181.
2. https://hi.m.wikipidia.org. 24 अगस्त, 2011.
3. https://www.bbc.com. 8 मार्च, 2020.
4. राम, चन्द्र राम. (2015), नक्सलवाद झारखण्ड के झरोखे से, प्रकाशन : इंडिका इन्फोमीडिया, जनकपुरी, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्याः 247–355.
5. सुलेमान, डॉ0 मुहम्मद. (2005), मनोविज्ञान, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों में सांख्यिकी, प्रकाशनः मोतीलाल बनारसीदास, नई दिल्ली, पृष्ट संख्याः 117–120.
6. सिंह, अरूण कुमार. (2003), औधोगिक एवं संगठनात्मक मनोविज्ञान, प्रकाशनः भारती भवन, ठाकुरबाड़ी रोड़, पटना पृष्ठ संख्या 212–251.
7. मासोदकर, डॉ0 जगदिश. (2019), आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ता नक्सलवाद, प्रकाशनः ब्लु रोज, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 90–108.